राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481, 2227555, ई.मेल. 2227602, Fax: 2385877 Toll Free Help Line 15100)

क्रमांकः- रालसा/2016/8938-8972 दिनांक 14.09.2016

प्रेषितिः-

श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः- मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना में परिवर्तन व संशोधन करने बाबत्।

महोदय,

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 11 दिनांक 13.5.2015 द्वारा जारी मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर योजना का क्रियान्वयन निम्नांकित परिवर्तनों एवं संशोधनों के साथ किया जाना हैः-

1. पूर्व की भाँति प्रत्येक जिले में हर त्रैमास में एक शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय/ पंचायत समिति मुख्यालय या बड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जावेगा लेकिन शिविर की तिथि अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पूर्णकालिक सचिव द्वारा आपस में विचार विमर्श कर स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन करते हुए निर्धारित की जावेगी।

2. शिविर की तैयारी पूर्ण कालिक सचिव एवं सम्बन्धित ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में की जावेगी।

3. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवम्बर, 2015 में निम्नलिखित सात जन कल्याणकारी योजनायें जारी की है जिनके क्रियान्वयन में वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित विभागों को एवं जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं। (तुरन्त संदर्भ के लिए प्रति संलग्न है)। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इस कार्यालय द्वारा एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनके अध्यधीन प्रत्येक योजना के लाभार्थियों की पहचान की जावेगी। सभी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को देय लाभ प्रदान करने हेतु आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने में मदद की जावेगीः-

    1. नालसा (तस्करी और यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

2. नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015
3. नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015
4. नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015
5. नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015
6. नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015
7. नालसा (नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015

4. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की उपरोक्त योजनाओं (जिनकी प्रतियाँ पूर्व में भेजी जा चुकी हैं तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वैब साइट पर भी उपलब्ध हैं) में प्रत्येक योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, योजना से संबंधित सरकारी योजनाओं का विवरण तथा योजना के क्रियान्वयन का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिपत्र क्रमांक 14 दिनांक 22.2.2016 भी इन सातों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी किया जा चुका है। (जिसकी प्रति भी प्रेषित की जा चुकी है)।

5. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी उपरोक्त सातों योजनाएं मुख्यत: जन कल्याणकारी योजनाएं ही हैं तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व भी राज्य सरकार का ही है लेकिन ''मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर'' के तहत अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी उपरोक्त सातों योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जावेगा।

6. संबंधित पैरा लीगल वोलियेन्टर द्वारा पंचायत समिति / ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के गांव के सरपंच एवं पंचों के सहयोग से सर्वे किया जावेगा। शिविर की सार्थक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होने पर पडौस की ग्राम पंचायत के पैरा लीगल वोलियेन्टर्स की सेवाएं भी ली जा सकेंगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गठित की गई टीमें भी शिविर की तैयारियों में भाग लेंगी तथा अपनी अपनी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तरादायी होंगी।

7. उपरोक्त योजनाओं के साथ-साथ संबंधित पैरा लीगल वोलियेन्टर्स वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वच्छता मिशन गाड़िया लोहार को आवासीय जमीन के आवंटन, दिव्यागों को उनकी आवश्यकतानुसार उपकरण दिलाने हेतु उनकी पहचान करने का कार्य करेंगे। लाभार्थियों को उनसे संबंधित योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन पत्र तैयार करने एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में भी उनकी मदद करेंगे।

8. ''मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर'' के नाम के अनुरूप इस शिविर में उपस्थित लाभार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, कानूनों तथा सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का कार्य किया

जावेगा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं एवं संबंधित कार्यालयों की जानकारी भी दी जावेगी। विशेष तौर पर यह भी बताया जावेगा कि पात्र व्यक्ति को वांछित लाभ नहीं मिलने पर या किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा टालमटोल करने या अनुचित मांग करने पर कहां शिकायत की जा सकेगी।

9. सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचातय एवं स्थानीय प्रशासन की भागीदारी रहती है। प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए इनका विधिक उत्तरदायित्व भी है, अत: विधिक सेवा संस्थाओं से जुड़े सभी प्रतिनिधि आवश्यक सहयोग व समन्वय बनाये रखेंगे।

10. केन्द्र सरकार के निशक्तजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Department of Empowerment of Pensons with disabiles.....) राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग व अन्य संबंधित राजकीय विभागों से भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जा सकेगा। साथ ही महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर से भी आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जा सकेगा।

11. मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5087-5121 दिनांक 7.7.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा। किसी भी दृष्टि से यह शिविर राजनैतिक आयोजन जैसा नहीं लगना चाहिए।

12. पूर्व की भाँति शिविर की रिपोर्ट एवं दिये गये लाभों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।

13. कृपया उपरोक्त परिवर्तन व संशोधन के साथ ''मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याणकारी शिविर योजना'' का संचालन जारी रखें और इसके माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं रखे।

14. उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में क्रियान्वयन में आने वाली हर कठिनाई या समस्या के लिए निवारण करने के लिए यह कार्यालय सदैव तत्पर है।

सादर

भवदीय

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव